www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 25.04.2017

सीबीआई ने कृषि मंत्रालय के अधीन संचालित वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह के कुछ कर्मियों एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया व तलाशी ली

सीबीआई ने क्षेत्रीय वनस्पति संरक्षण केन्द्र (आर.पी.क्यू.एस.), चेन्नई के कार्यालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक ; वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह के निदेशालय कृषि, सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के संयुक्त निदेशक (पी.पी.) तथा सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी सह एक्स रे तकनीशियन ; एक अन्य सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी, तुतीकोरीन ; धूमक (फ्यूमीगेटर), तुतीकोरीन और अन्यों के विरूद्ध आज मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप है कि कर्मियों ने आयात हेतु निर्यात व माल जारी करने के आदेश के लिए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तुतीकोरीन के सीमा शुल्क सदन अभिकर्ताओं (सी.एच.ए.एस.), घूमकों (फ्यूमीगेटर्स) तथा नौवहन अभिकर्ताओं से अवैध रिश्वत की माँग व स्वीकार की।

उक्त संयुक्त निदेशक तथा अन्य संयुक्त निदेशक (पी.पी.) को तुतीकोरीन से वापसी के दौरान चेन्नई एयर पोर्ट पर रोका गया और 7.10 लाख रू. (लगभग) की धनराशि की कथित रिश्वत जिसे उन्होने कथित रूप से विभिन्न सीमा शुल्क सदन अभिकर्ताओं (CHAs) से एकत्र किया था, को ले जाते हुए पाया गया।

चेन्नई, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, मदुरै तथा तुतीकोरीन सहित विभिन्न स्थानों पर तलाशी जारी है।

जॉच जारी है।

****